

## डिजीटल साक्षरता

नागरिकों को तीव्र, निष्पक्ष एवं सुगम नागरिक सेवा  
प्रदान करने हेतु महत्वपूर्ण एप्स



उमंग

: ई.पी.एफ. निकासी, ई. सर्विसेस जैसी केन्द्र सरकार की 149 एवं  
राज्य सरकारों के 142 विभागों के ऑनलाइन कार्य




: असंगठित श्रमिकों का पंजीयन कार्य



: नागरिकों के आधार कार्ड संबंधी समस्त कार्य



: कोविड टीकाकरण के संबंधी कार्य



: गाड़ी एवं आर.टी.ओ. संबंधी समस्त कार्य



: पासपोर्ट बनाने एवं नवीनीकरण कार्य



: समस्त प्रकार के प्रमाण पत्रों का डिजीटल प्रारूप का सुरक्षा कार्य



: मोबाइल से विभिन्न प्रकार के भुगतान संबंधी कार्य



: नागरिकों के असंख्य प्रकार के ऑनलाइन कार्य

## महत्वपूर्ण दृच्छना

- अपना आर.टी.पी. किसी को न बतायें.
- ए.टी.एम. का पासवर्ड ए.टी.एम. कार्ड में न लिखे वल्कि उसे याद रखें.
- ए.टी.एम. का पासवर्ड नियमित अंतराल पर बदलते रहें.
- स्पैम अथवा फॉड दिखने वाले नम्बर का कॉल न उठायें.
- किसी लॉटरी अथवा पुरस्कार का ऑनलाइन भुगतान संबंधी फोन पर ध्यान न देवे.
- भीम अथवा यू.पी.आई भुगतान हेतु पिन अवश्य रखें.
- आवश्यकता होने पर किसी भी प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी देने पर उसे काट देवे ताकि दुरुपयोग न हो सके.



## दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड

कम्युनिटी सेन्टर, साप्ताहिक बाजार के पास गोविन्दपुरा, भोपाल-462023

दूरभाष: 91-755-2582202/2582203

Email:rd-bhopal@cbwe.nic.in, www.cbwe.gov.in



सत्यमेव जयते

## दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार  
ऑचलिक निदेशालय (मध्य) एवं क्षेत्रीय निदेशालय, भोपाल



श्रमिकों के सामाजिक  
सुरक्षा योजनाओं  
का सूचना पत्रक



श्रम एवं रोजगार मंत्रालय  
GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF LABOUR &  
EMPLOYMENT



कम्युनिटी सेन्टर, साप्ताहिक बाजार के पास गोविन्दपुरा, भोपाल-462023

दूरभाष: 91-755-2582202/2582203

Email:rd-bhopal@cbwe.nic.in, www.cbwe.gov.in

## दल्लोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार

### 01. ई-श्रमकार्ड

**उद्देश्य:**-भारतवर्ष के समस्त असंगठित श्रमिकों का पंजीयन एवं तदानुसार कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन।

पंजीकरण के लिए आवश्यक प्रत्रता और जानकारी:-

1. असंगठित श्रमिक जिनकी आयु 16 से 59 वर्ष हो।
2. आधार कार्ड अनिवार्य है।
3. आधार लिंक सक्रिय मोबाइल नम्बर
4. बचत बैंक खाते का संपूर्ण विवरण

#### विशेषताएं:-

1. पंजीकरण के बाद प्राप्त ई-श्रम कार्ड पूरे देश में स्वीकार किया जाएगा
2. इस कार्ड से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के माध्यम से दुर्घटना बीमा कवरेज निम्नानुसार होगा:-
  - आकस्मिक मृत्यु और स्थायी विकलांगता के मामले में 2 लाख रुपये
  - आंशिक विकलांगता के मामले में 1 लाख रुपये
3. भविष्य में सामाजिक सुरक्षा लाभ ई-श्रम कार्ड के माध्यम से ही वितरित किए जा सकेंगे।
4. आपदा/महामारी के दौरान सहायता प्रदान करने हेतु केंद्र और राज्य सरकार के लिए सहायक सिद्ध हो सकता।  
संपर्क:- निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) हेल्प डेस्क:- 14434

### 02. अटल पेंशन योजना (APY)

**उद्देश्य:**-भारत के सभी नागरिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद नियमित रूप से निश्चित आय प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा अटल पेंशन योजना सरकार द्वारा शुरू की गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है।

#### पात्रता:-

1. यह योजना 18-40 वर्ष की आयु के भारत के सभी नागरिकों के लिये है।
2. आधार आधारित प्राथमिक केवाई.सी. होगा। योजना के संचालन में आसानी के लिए ग्राहकों से आधार और मोबाइल नंबर प्राप्त किया जाना है यदि उपरोक्त पंजीकरण के समय आधार उपलब्ध नहीं है तो आधार विवरण बाद में भी प्रस्तुत किया जा सकता है।

#### विशेषताएं:-

1. योजना के तहत पंजीकरण फॉर्म भरने के लिए 18 से 40 वर्ष के बीच के व्यक्ति के पास पहचान, निवास एवं उम्र का प्रमाण होना चाहिए।
2. योजना के तहत सदस्यता लेने के लिए बचत बैंक का खाता होना अनिवार्य है।
3. नागरिकों को 1000/- रु. से 5000/- रु. के निश्चित मासिक पेंशन राशि प्राप्त करने हेतु मासिक सदस्यता का भुगतान करने का विभिन्न विकल्प उपलब्ध है।
4. केंद्र सरकार कुल वार्षिक योगदान का 50 प्रतिशत या 1000/- रु. प्रति वर्ष रुपये, जो न्यूनतम हो अंशदान देगी।
5. नामांकन की सुविधा उपलब्ध है।
6. इस योजना से समय से पहले बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। इसकी अनुमति केवल असाधारण परिस्थितियों में यानी लाइलाज बीमारी के लिए अथवा लाभार्थी की मृत्यु की स्थिति में दी जाती है।  
संपर्क:- निकटतम बैंक, एलआईसी कार्यालय टेल फ्री :- 1800110069

### 03. प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)

#### पात्रता:-

1. यह योजना 18 से 70 वर्ष की आयु के लोगों के लिए उपलब्ध है जिनके पास स्वयं का बैंक खाता है जो 1 जून से 31 मई की कवरेज अवधि के लिए 31 मई के या उससे पहले ऑटो-डेबिट में शामिल होने/सक्षम करने के

#### विशेषताएं:-

1. योजना के तहत जोखिम कवरेज दुर्घटना मृत्यु और पूर्ण विकलांगता के लिए 2 लाख रुपये और आंशिक विकलांगता के लिए 1 लाख रुपये का कवर दिया जा सकता।
2. 12 रुपये का प्रीमियम एक किस्त में, ऑटो-डेबिट सुविधा के माध्यम से खाताधारक के बैंक खाते से कट्यती की जानी है।

**आवश्यक दस्तावेज़:-** आधार संख्या, संपर्क जानकारी, नामांकित व्यक्ति का विवरण।

संपर्क:- निकटतम बैंक जहां लाभार्थी का बैंक खाता है।

टेल फ्री :- 18001801111

### 04. प्रधानमंत्री जीवन ज्याति बीमा योजना (पीएपजेजेबीवाई)

#### पात्रता:-

1. पीएपजेजेबीवाई 18 से 50 वर्ष की आयु के उन लोगों के लिए उपलब्ध है जिनके पास बैंक खाता है और जो ऑटो-डेबिट में शामिल होने/सक्षम करने के लिए अपनी सहमति देते हैं।

#### विशेषताएं:-

1. 2 लाख रुपये का जीवन कवर 1 जून से 31 मई तक एक वर्ष की अवधि के लिए जो नियमित रूप से नवीनीकरण किये जा सकेंगे।
2. इस योजना के तहत बीमित व्यक्ति की किसी कारणवश मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये का जोखिम कवरेज दिया जा सकता है।
3. प्रीमियम रु.330 प्रति वर्ष जो योजना के तहत प्रत्येक वार्षिक कवरेज अवधि के 31 मई को या उससे पहले उसके द्वारा दिए गए विकल्प के अनुसार ग्राहक के बैंक खाते से एक किस्त में ऑटो-डेबिट किया जाना है।
4. यह योजना जीवन बीमा निगम और अन्य सभी जीवन बीमा कंपनियों द्वारा पेश की जा रही है।  
संपर्क:- निकटतम बैंक, जहां लाभार्थी का बैंक खाता एवं एलआई कार्यालय

### 05. प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना (पीएम-एसवाईएम)

#### पात्रता :-

1. 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग का असंगठित श्रमिक होना चाहिए।

2. मासिक आय 15000 रुपये और संगठित क्षेत्र (EPF/NPS/ESIC की सदस्यता), एवं एक आयकर दाता नहीं होना चाहिए।

#### आवश्यक प्रमाण पत्र:

1. आधार कार्ड
2. बचत बैंक खाते/ IFSC के साथ जन धन खाते का विवरण।

#### योजना की विशेषताएं:-

1. यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है जिसके तहत लाभार्थी के 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3000/- रु. प्रति माह की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्राप्त होगी।
2. यदि अभिदाता की मृत्यु हो जाती है तो लाभार्थी का पाति/पत्नी पेंशन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में प्राप्त करने का हकदार होगा।
3. परिवारिक पेंशन के बारे में योजना के बारे में बाहर का अंशदान देगी।

**अभिदाता द्वारा अंशदान:-** बचत बैंक खाते से 'ऑटो-डेबिट' सुविधा के माध्यम से होगा। केंद्र सरकार भी उनके पेंशन खाते में बाहर का अंशदान देगी।

**नामांकन प्रक्रिया:** असंगठित श्रमिक अपने निकटतम कॉमन सेवा केंद्र (सीएससी) में जाकर स्व-प्रमाणन के आधार पर आधार कार्ड और बचत बैंक/जन-धन खाते का उपयोग करके पीएम-एसवाईएम के लिए नामांकन कर सकता।

संपर्क:- कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी),

टेल फ्री:- 18002676888

कोरोना के विश्वा निर्दशः-मास्क, 2 गज की दूरी, नियमित हाथ धोना एवं सैनीटाइजर का प्रयोग अवश्य करें।